

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुक्म

12-9-19

पञ्जावली पेस डडी पॅरोका मरकात उधो
पञ्जावली का अवलोकन किया गया। इन
प्रकरण में नियमानुसार तहसीलदार निवाइ
के स्तर पर तस्मीन ही जा सकती है। अतः
मूल पत्र मय दस्तावेजात नियमानुसार
तस्मीन हेतु निदेशों के साथ तहसीलदार
निवाइ को वापस भेजा जावे। पञ्जावली
कैलाल शुमाट लोक नाल से का होतप
दण्ड वाकाल लो।